छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 299/2006

श्री अमरचंद अग्रवाल खरसिया, जिला–रायगढ़ (छत्तीसगढ़)	....	अपीलार्थी

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, नगरपालिका परिषद, खरसिया	....	प्रतिअपीलार्थी
2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी अपील अधिकारी, खरसिया, जिला–रायगढ़ (छत्तीसगढ़)	....	प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::

(दिनांक 07 अक्टूबर 2006)

श्री अमरचंद अग्रवाल निवासी खरसिया के द्वारा द्वितीय अपील सूचना के अधिकार अधिनयम 2005 की धारा 19 (3) के अंतर्गत आयोग के समक्ष प्रथम अपीलीय अधिकारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, खरसिया के आदेश दिनांक 21 जून 2006 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने दिनांक 17.04.2006 को नगरपालिका परिषद में आवेदन पत्र सूचना अधिकारी को प्रस्तुत किया कि बंधवा तालाब की निविदा किन–किन ठेकेदारों के द्वारा डाली गई, उनका रेट, निविदा प्रपत्र देने के नियम, शर्तो की कापी, किन–किन व्यक्तियों के सामने निविदा खोली गई, निविदा रजिस्टर की फोटोकापी तथा आवेदन पत्र दिनांक तक निविदा के संबंध में क्या निर्णय लिया गया, इसकी जानकारी दी जावे। सूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 18.04.2006 को मोहम्मद सलीम सिद्यीकी, उपअभियंता को सात दिन के अंदर जानकारी देने हेतु आवेदन पत्र अग्रेषित किया। दिनांक 21.04.2006 को सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 25.04.2006 को अभिलेख का अवलोकन करने के लिए प्रथम घंटे के 50/– रूपए जमा करने की सूचना दी गई। दिनांक 25.04.06 को अपीलार्थी के द्वारा अभिलेख अवलोकन किया गया परन्तु बतलाया गया कि अभिलेख अधूरा समय होने के कारण पूर्णतः अवलोकन नहीं किया। दिनांक 22.05.06 को अपीलार्थी के द्वारा पुनः आवेदन पत्र दिया गया तथा उसमें बतलाया गया कि निविदा में हेराफेरी की जा रही है। दिनाक 25.05.06 को अपीलार्थी को सूचित किया गया

कि नस्ती नियमानुसार अनुमोदन हेतु दिनांक 24.05.06 से कलेक्टर के पास भेजी गई है। वहां से प्राप्त होने पर ही प्रतिलिपि दिया जाना संभव होगा। अपीलार्थी ने प्रथम अपील मुख्य नगरपालिका अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने दोनों पक्षों की सुनवाई कर यह आदेश पारित किया कि नियमों के अनुसार निविदा दिनांक 03.04.06 को प्राप्त, को दिनांक 26.04.06 को ईआईसी की बैठक में प्रस्तुत किया गया कि एवं आगामी कार्यवाही हेतु नस्ती दिनांक 03.05.06 को कलेक्टर रायगढ़ को प्रेषित की गई। नियमानुसार राज्य शासन प्रवर्तित योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यो की निविदा प्रेसीडेन्ट इन कौंसिल की अनुशंसा पर दर स्वीकृति हेतु कलेक्टर को प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। कलेक्टर से नस्ती दिनांक 05.04.2006 को प्राप्त होने पर अपीलार्थी को प्रतिलिपि दी गई। अपील अधिकारी ने यह माना कि जानकारी देने में विलम्ब के लिए सूचना अधिकारी उत्तरदायी नहीं है क्योंकि शासन के द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार प्रकरण में कार्यवाही की गई है तथा निविदा स्वीकृत करने की प्रक्रिया जारी थी, और जब तक प्रक्रिया के पश्चात निर्णय नहीं हो जाता तब तक उसके निर्णय की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर की है।

3/ आयोग के द्वारा दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि जानकारी देने में विलम्ब हुआ है अतः अर्थदण्ड आरोपित किया जावे। प्रकरण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सूचना अधिकारी के द्वारा अभिलेखों का अवलोकन भी कराया गया। चूंकि निविदा स्वीकृत होने शासन के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कलेक्टर को नस्ती भेजी गई तथा वहां से स्वीकृति होने में समय लगा, इसके लिए सूचना अधिकारी दोषी नहीं है। प्रकरण में अपीलीय अधिकारी के द्वारा भी इसी आधार पर आदेश पारित किया गया है। यह भी स्पष्ट होता है कि कलेक्टर से नस्ती प्राप्त होने में हुई विलम्ब के फलस्वरूप अपीलार्थी को जन सूचना अधिकारी के द्वारा नियमानुसार निःशुल्क जानकारी प्रदान की गई।

4/ अपीलार्थी के द्वारा ऐसे कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे यह स्पष्ट हो सके कि सूचना अधिकारी के द्वारा जानबुझकर या द्ववेशवष अपीलार्थी को जानकारी विलम्ब से प्रदान की गई हो। अपीलीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश तथ्यों के अनुरूप है, उसमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। अपीलार्थी को निःशुल्क जानकारी प्राप्त हो चुकी है। सूचना अधिकारी पर अर्थदण्ड किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपीलार्थी की यह अपील अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
मुख्य सूचना आयुक्त